

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  |
|---------------------------|---|
| 1                         | 2   |
| 09-10-2021                | <p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, समाहता, मधुबनी</b><br/> <b>सी०सी०ए० वाद संख्या-44 / 2021-22</b><br/> <b>बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत</b><br/> <b>सरकार</b><br/> <b>बनाम</b><br/> <b>प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा</b></p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 3590/सी.आर दिनांक-20.09.2021, द्वारा अपराधकर्मी प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा, पिता- रामेश्वर सिंह, सा०-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।</p> <p>प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा-3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-04.10.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक-09.10.2021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण-पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 09.10.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।</p> <p>अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया है कि इनके पक्षकार एक विधि पालक नागरिक है तथा समाज सेवा में लगा रहता है। इनके पक्षकार की पत्नी विगत चुनाव में भी भकुआ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी थी तथा निर्वाचित मुखिया विनीता देवी पति संजय ठाकुर को कडी चुनौती दी थी तथा इसके बाद भी इनकी पत्नी पंचायत समिति की प्रत्याशी है। खजौली थाना काण्ड सं०-147/17, 109/17, 185/16, 206/16, 76/19, 29/20 एवं खजौली थाना सनहा सं०-704/21 दिनांक 30.03.21, 19/21 दिनांक 01.04.21 एवं 718/21 दिनांक 30.08.21 दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।</p> <p>यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा अंकित किया गया है कि</p> <p>"असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा के कुकृत्यों से खजौली थाना क्षेत्र एवं इनके घर के आस-पास की जनता में इनका भय एवं आतंक व्याप्त है। ये अवैध शराब के कांडों में संलिप्त रहे हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। जमानत पर मुक्त होने के बाद भी इनकी अपराधिक सक्रियता प्रकाश में आयी है। इनके द्वारा हाल-फिलहाल के दिनों में खजौली थाना क्षेत्र के ईलाको में अपने साथियों के साथ मिलकर आसन्न पंचायत चुनाव 2021 के दौरान गडबड़ी फैलाने के फिराक में है। इनके भय से मुहल्ला एवं आस-पास के लोग सामने आकर कोई शिकायत करना नहीं चाहते हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा</p> |

निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है -

01. खजौली थाना काण्ड संख्या-147/17 दिनांक 12.11.17 धारा 414 भा0द0वि0
  02. खजौली थाना काण्ड संख्या-109/17 दिनांक 05.10.17 धारा 272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30ए बिहार मद्यनिषेध अधिनियम।
  03. खजौली थाना काण्ड संख्या-185/16 दिनांक 05.10.16 धारा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
  04. खजौली थाना काण्ड संख्या-206/16 दिनांक 04.11.16 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
  05. खजौली थाना काण्ड संख्या-76/19 दिनांक 21.05.19 धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30ए बिहार मद्यनिषेध अधिनियम।
  06. खजौली थाना काण्ड संख्या-29/20 दिनांक 12.03.20 धारा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
  07. खजौली थाना सनहा संख्या- 704/21 दिनांक 30.03.21, 19/21 दिनांक 01.04.21 एवं 718/21 दिनांक 30.08.21
- इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा-3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशांसा की गई है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध सात मामले दर्ज है। खजौली थाना काण्ड सं0-147/17, 109/17, 185/16, 206/16, 76/19, 29/20 एवं खजौली थाना सनहा सं0-704/21 दिनांक 30.03.21, 19/21 दिनांक 01.04.21 एवं 718/21 दिनांक 30.08.21 दर्ज है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 02(डी0) के तहत उद्धरित "Anti Social element" की परिभाषा एवं भारतीय दंड विधान के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अन्तर्गत परिभाषित हैं। अपराधकर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य अथवा कागजात दाखिल नहीं किया गया है। जिससे प्रमाणित हो सके कि ये वर्तमान में स्वच्छ आचरण का जीवन व्यतीत कर रहे हो।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा, पिता- रामेश्वर सिंह, सा0-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,

1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव 2021 को शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला-मधुबनी को थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से झंझारपुर थाना में प्रत्येक तिथि को सवेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वा० से 11:00 बजे पूर्वा० तथा संध्या 05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनांक 20.10.2021 को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, झंझारपुर निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी संघारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा, पिता- रामेश्वर सिंह, सा०-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी प्रदीप सिंह उर्फ भोल्टा, पिता- रामेश्वर सिंह, सा०-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, खजौली थाना को भेजें। साथ ही इस आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, झंझारपुर थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को भेजें, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क, मधुबनी को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधुबनी जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजें।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,  
मधुबनी

जिला दण्डाधिकारी,  
मधुबनी

- ज्ञांपाक सं०-1115 / जि०वि०न्चा०, मधुबनी दिनांक 21/10/21
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, खजौली को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एकप्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला विधि शाखा,  
मधुबनी।  
21/10/21